

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	CNR No-MP-3505000 637/2022 Filling No-RCT-602/2022 RCT-483/2022 <u>राज्य म.प्र. विरुद्ध राजू यादव व अन्य</u> <u>आपराधिक प्रकरण आर. सी. टी. क्रमांक-483/2022 आज दिनांक</u> <u>14/03/2026 नेशनल लोक अदालत की खण्डपीठ क्रमांक 12 में</u> <u>प्रस्तुत</u> राज्य द्वारा कोई नहीं। अभियुक्त राजू यादव व रमाशंकर यादव द्वारा श्री बी. व्ही.पटेल अधिवक्ता उपस्थित। प्रकरण राजीनामा आवेदन पत्र दिनांकित 12.01.2026 पर लोक अदालत पर आदेश हेतु नियत है। फरियादी रामसनेही व आहत शंकरदीन द्वारा एक संयुक्त हस्ताक्षरित छायाचित्र युक्त राजीनामा आवेदन पत्र दिनांक 12.01.2026 को एक लिखित, हस्ताक्षरित एवं छायाचित्र युक्त आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 320 (1)(2) दं.प्र.सं. /359(1)(2) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता मय समझौता आवेदन पत्र प्रस्तुत कर अभियुक्तगण पर आरोपित अपराध के शमन की अनुज्ञा चाही थी। आवेदक द्वारा व्यक्त किया है कि उनके मध्य मधुर संबंध स्थापित हो गये हैं। फरियादी द्वारा व्यक्त किया गया है कि उसने बिना किसी भय एवं दबाव के राजीनामा आवेदन प्रस्तुत किया है। फरियादी की पहचान आधार कार्ड तथा अधिवक्ता श्री आर.पी.यादव अधिवक्ता द्वारा दिनांक 12.01.2026 को की जा चुकी है। आवेदन तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया। आवेदन पर उभयपक्ष के तर्क श्रवण किये गये। उभयपक्ष के तर्क एवं अभिलेख के अवलोकन से दर्शित है कि अभियुक्तगण पर धारा 294, 323 सहपठित धारा 34 दो-शीर्ष एवं 506 (भाग-दो) भा.दं.सं. के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप है। उपरोक्त अपराधों में से धारा 294, 323 सहपठित धारा 34 दो-शीर्ष एवं 506(भाग-दो) भा.दं.सं. के अन्तर्गत आरोप धारा-320(1) दं.प्र.सं. के अंतर्गत आहत द्वारा शमन योग्य है एवं धारा 506 भाग-दो भा.दं.सं. न्यायालय की अनुमति से धारा 320 (2) दं.प्र.सं. के अंतर्गत आहतगण द्वारा	

Order Sheet [Contd]

Case No. of 20

Order or proceeding with Signature of Presiding Officer

Signature of
Parties or
Pleaders where
necessary

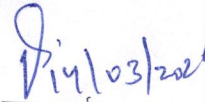
शमनीय है। फरियादी रामसनेही व आहत शंकरदीन अपराध का शमन करने हेतु सक्षम व्यक्ति हैं। आरोप के संबंध में कोई पूर्व दोषसिद्धि से संबंधित प्रमाण अभिलेख से दर्शित नहीं है।

राजीनामा के आलोक में अभियुक्त **राजू यादव व रमाशंकर यादव** को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा- **294, 323 सहपठित धारा 34 दो-शीर्ष एवं 506 (भाग-दो) भा.दं.सं.** के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति एक बांस का डंडा मूल्यहीन होने से नष्ट किया जाये।

प्रकरण का परिणाम आपराधिक पंजियों में दर्ज कर प्रकरण नियत समयावधि में आपराधिक अभिलेखागार शाखा में प्रेषित किया जावे।


(सुश्री नगीना अहिरवार)
सदस्य
एडवोकेट


उपमा भार्गव
पीठासीन अधिकारी
खण्डपीठ क्रमांक-12